



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 11.01.2026

विषय:- थाना रामनगर पुलिस द्वारा वध हेतु ले जाये जा रहे कुल 10 राशि गोवंश पशु को व घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या UP65KT0035 के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी के पर्यवेक्षण में, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.01.2026 को थाना रामनगर पुलिस को जरिये मुख्यबिर खास सूचना मिली कि एक पिकप वाहन पर गोवंशीय पशु को लादकर राजातालाब की तरफ से बिहार की तरफ वध करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दुण्डराज पुलिया के पास हिक्मत अमली से एक पिकप वाहन को रोका गया अपने को फँसता देख पिकप चालक व उसमें बैठे व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया पिकप से कूदकर भागे व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास के बाद 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार किया गया तथा पिकप से 06 राशि गाय व 04 राशि बैल कुल 10 राशि गोवंश बरामद होने पर अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लेते हुए थाना रामनगर पर मु0अ0सं0-007/2026 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 109(1) बी0एन0एस0 में अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण- 06 राशि गाय व 04 राशि बैल कुल 10 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त टाटा पिकप नम्बर UP65KT0035 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

- जितेन्द्र कुमार पुत्र शिवकुमार निवासी टोडरपुर थाना राजातालाब वाराणसी उम्र 28 वर्ष।
- करन विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार विश्वकर्मा निवासी ग्राम खालिसपुर थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास (जितेन्द्र कुमार पुत्र शिवकुमार)

- मु0अ0सं0- 0274/2016 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता थाना जंसा कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0- 0544/2016 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता थाना रोहानिया कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0- 0545/2016 धारा 307 भादवि थाना रोहानिया कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0- 0184/2017 धारा 3(1) गै0 एक्ट थाना रोहानिया कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0- 0028/2020 थाना बुबरी चन्दौली।
- मु0अ0सं0- 0086/2020 धारा 3(1) गै0 एक्ट थाना बुबरी चन्दौली।
- मु0अ0सं-0 0133/2018 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
- मु0अ0सं-0 0071/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता व 429 भादवि थाना जाफराबाद जनपद जौनपुर।

अपराधिक इतिहास (करन विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार विश्वकर्मा) - मु0अ0सं0- 0038/2025 धारा 3/5A/8,5 गोवध
निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता व धारा 325 भादवि थाना जाफराबाद जनपद जौनपुर ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दुर्गा सिंह थाना रामनगर कमिश्वरेट वाराणसी ।
2. उ0नि0 श्री आदित्य कुमार राय चौकी प्रभारी भीटी थाना रामनगर कमिश्वरेट वाराणसी ।
3. उ0नि0 श्री पंकज कुमार मिश्रा थाना रामनगर कमिश्वरेट वाराणसी ।
4. उ0नि0 श्री अनिल राजपूत थाना रामनगर कमिश्वरेट वाराणसी ।
5. हे0का0 रविन्द्र सिंह थाना रामनगर कमिश्वरेट वाराणसी ।
6. का0 सर्वेश कुमार थाना रामनगर कमिश्वरेट वाराणसी ।
7. का0 शक्तिरमण पाल थाना रामनगर कमिश्वरेट वाराणसी ।
8. का0 रविशंकर थाना रामनगर कमिश्वरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्वरेट वाराणसी